

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी० ए० मिस वाद सं० 177B/2018-19

बसंत बारीक बनाम दिप्ती देवी

दिनांक

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

अभ्युक्ति


19.11.18

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 2894 दिनांक 02.11.2018 के द्वारा टी० ए० मिस वाद सं० 177B/2018-19 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता बसंत बारीक पिता स्व० पूर्ण चन्द्र बारीक, ग्राम-सरायकेला वार्ड नं०-01, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावां ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता दिप्ती देवी, पति-दिनेश कुमार प्रमाणिक ग्राम-दलभंगा(टोला बालम), थाना-कुचाई, जिला-सरायकेला-खरसावां को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

मौजा	थाना न०	खाता न०	खेसरा न०	रकवा
सरायकेला वार्ड नं०-1	301	250	206	0.07½एकड़

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के स्वयं के नाम से पंजी-II दर्ज है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है। जिसमें से 0.07½एकड़ भूमि बिक्री करने के पश्चात् 2.16¾ एकड़ भूमि बचता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही जिला एवं जाति 'नाई' एवं 'हजाम' है, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.07½ एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
सरायकेला।